कोरोना संक्रमण से मौत, आश्रित परिजनों को आजीवन पेंशन

हरिभूमि न्यूज ▸▸। रायपुर

कोरोना संक्रमण की वजह से जान गंवाने वाले ईएसआईसी के बीमित आश्रितों को आजीवन पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। 'ईएसआईसी कोविड-19 राहत योजना' प्रदेश में अब तक 211 प्रकरणों में आजीवन पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है। इसके अंतर्गत अभी तक 78 लाख 72 हजार 693 रुपए मासिक पेंशन के रूप में भुगतान किया जा चुका है, जिससे लगभग 800 हितग्राहियों को हितलाभ प्राप्त हो रहा है।

- अब तक 8 सौ हितग्राहियों को 78 लाख से ज्यादा का भुगतान

बीमित व्यक्तियों के दुखी परिजनों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर में क्षेत्रीय निदेशक प्रभारी के हाथों उनके आश्रितों की आजीवन मानसिक पेंशन पत्र प्रदान किया गया। इस दौरान सहायक निदेशक हितलाभ तथा सहायक निदेशक जनसंपर्क भी उपस्थित रहे। श्रम रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पंजीकृत कर्मचारियों के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। योजना के तहत कोरोना से मृत्यु होने पर आश्रित परिवार को औसत वेतन की अधिकतम 90 फीसदी राशि आजीवन पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी। नियम के मुताबिक पेंशन की पात्रता के लिए संबंधित कर्मचारी के संक्रमण की पुष्टि होने के कम से कम 3 माह पहले कर्मचारी राज्य बीमा निगम के ऑनलाइन पोर्टल में पंजीकृत होना जरूरी है। इसके साथ ही संक्रमण के दौरान सेवा में होना तथा पिछले एक साल की अवधि के दौरान कम से कम 70 दिन के अनुदान का भुगतान होना आवश्यक है।

आश्रित परिवार को चिकित्सा लाभ

इसके साथ मृत कर्मचारी के आश्रित परिवार को 120 रुपए वार्षिक खर्च पर चिकित्सा लाभ की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत व्याप्त कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की परिस्थिति में परिवार के सबसे बड़े सदस्य अथवा अंतिम संस्कार करने वाले व्यक्ति को 15